भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 694
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

लंबित मामलों का निपटान

694. श्रीमती मालविका देवी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कई वर्षों से लंबित सभी मामलों का शीघ्र निपटारा हो तथा न्याय मिले ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं कि बाल एवं महिला उत्पीड़न के मामलों की उपेक्षा न हो तथा दोषियों को उचित दंड दिया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कोई नया संशोधन प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : न्यायालयों में लंबित मामलों का समाधान न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है । तथापि, केन्द्रीय सरकार न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करने और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अनिवार्य रूप से लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है । इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की, जिसके दो उद्देश्य थे-प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करना । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना शामिल है, जिसमें कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन: इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है ।

(ख) : तीन नए आपराधिक विधियों में कई महिला और बाल-केंद्रित परिवर्तन पेश किए गए हैं, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के अधीन निम्नलिखित सुसंगत परिवर्तन किए गए हैं:

i. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 में बिखरे हुए थे, को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के **अध्याय-V के अधीन समेकित किया गया है।**

ii. महिलाओं को प्रवंचनापूर्ण यौन संबंधों से बचाने के लिए एक नया अपराध पेश किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की **धारा 69 सूचित सहमति प्रदान करने के महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करती है।** कोई भी व्यक्ति जो अपनी पहचान छिपाकर या शादी, नौकरी, या प्रोन्नति का झूठा वचन देकर किसी महिला के साथ यौन संबंध स्थापित करता है, उस पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इस तरह के विश्वासघात के लिए वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा।

iii. **18 वर्ष** से कम आयु की सभी महिलाओं को पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने से सुरक्षा प्रदान की गई है। पहले यह सुरक्षा केवल 15 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को प्रदान की जाती थी। अब 18 वर्ष से कम आयु की सभी लड़कियों को, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, बलात्कार से सुरक्षा प्राप्त है। (धारा 63 का अपवाद 2)।

iv. सामूहिक बलात्संग की नाबालिग पीड़िताओं के लिए आयु का अंतर खत्म कर दिया गया है। पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्संग के लिए अलग-अलग दंड विहित थे । इस उपबंध को उपांतरित कर दिया गया है अब महिलाओं के सामूहिक बलात्संग की आयु अठारह वर्ष से कम कर दी गई है और यह आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय है । (धारा 70(2))।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन, निम्नलिखित सुसंगत परिवर्तन किए गए हैं:

i. धारा 66 - महिला को परिवार के वयस्क सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है, जिस पर सम्मन जारी किए गए व्यक्ति की ओर से सम्मन तामील किया जा सकता है। पहले 'कुछ वयस्क पुरुष सदस्य' के संदर्भ को 'कुछ वयस्क सदस्य' से बदल दिया गया है।

ii. धारा 176(1) का दूसरा परंतुक- पीड़ित को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और बलात्संग के अपराध से संबंधित जांच में पारदर्शिता लाने के लिए, पीड़िता का बयान पुलिस द्वारा ऑडियो वीडियो माध्यम से दर्ज किया जाएगा।

iii. धारा 183(6)(क) का परंतुक 1 - महिलाओं के विरुद्ध कतिपय अपराधों के लिए, पीड़िता का बयान, जहां तक साध्य हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जा सकेगा ।

iv. धारा 183(6)(क) का परंतुक 2 – मजिस्ट्रेट अब महिलाओं के विरुद्ध कतिपय अपराधों के मामले में साक्षी का कथन अभिलिखित करेंगे जो दस वर्ष या उससे अधिक कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय हैं।

v. धारा 184(6) – चिकित्सक, को बलात्कार की पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के अवधि के भीतर जांच अधिकारी को भेजेंगे ।

vi. धारा 195(1) का परंतुक- यह उपबंध करता है कि पंद्रह वर्ष से कम की आयु या साठ वर्ष (65 वर्ष से पहले) की आयु से ऊपर के किसी व्यक्ति या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त किसी व्यक्ति से, उस स्थान के सिवाय जहां ऐसा व्यक्ति रहता है, किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । ऐसे मामलों में जहां ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए इच्छुक है, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) : वर्तमान में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****